आदेश की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–225/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
लीलावती कुवंर वगैरह –– विक्रेता
प्रति
श्रीमती सुमीला देवी ––क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता (1) लीलावती कुवंर, पति–स्व० गुलाबचंद चन्द्रवंशी, (2) गुलपति देवी, पति–स्व० शिवनारायण चन्द्रवंशी, (3) श्री राजेश प्रसाद, पिता–स्व० शंकर भण्डारी, उर्फ शिव शंकर राम, ग्राम–कोलझीकी, पोस्ट–भोजपुर, थाना–नगर उंटारी, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती सुमीला देवी, पति–श्री हृदयनारायण राम, ग्राम–बिरबल, पोस्ट–बिरबल, थाना–धुरकी, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के पत्रांक 330/दिनांक 23.08.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। तथा विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता सं०–1 एवं 2 के पति एवं विक्रेता सं०–3 के पिता गुलाब चन्द राम वगैरह के नाम से जमाबन्दी चलता है। विक्रेतागण जाति के चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता रवानी कहांर (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिकागण/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिकागण/विक्रेता (1) लीलावती कुवंर, पति–स्व० गुलाबचंद चन्द्रवंशी, (2) गुलपति देवी, पति–स्व० शिवनारायण चन्द्रवंशी, (3) श्री राजेश प्रसाद, पिता–स्व० शंकर भण्डारी, उर्फ शिव शंकर राम, ग्राम–कोलझीकी, पोस्ट–भोजपुर, थाना–नगर उंटारी, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्रीमती सुमीला देवी, पति–श्री हृदयनारायण राम, ग्राम–बिरबल, पोस्ट–बिरबल, थाना–धुरकी, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तनान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
होन्हो	33	पुराना–56 नया–30	पुराना–201 नया–281	0.03	उ०–रघुबीर पासवान, द०–हीरालाल साव, पू०–मखन राम, प०–पी०सी०सी० रोड,
		पुराना–56 नया–30	पुराना–200 नया–284	0.04	
		पुराना–56 नया–30	पुराना–200 नया–284/787	0.01	
			कुल रकबाः–	0.08	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निबंधक, श्री बंशीधर नगर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

02.9.22 — अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

02.9.22 — अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.15 15:55:37 +05:30
Location: 192.168.17.160

Scanned with CamScanner